5-1-21	आज पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट संख्या 1 कलुआ का नाम रामदयाल, प्रार्थी संख्या 2 पप्पू का नाम धर्मपाल, प्रार्थी संख्या 3 भगवान सिंह की सही वल्दियत ताराचंद के बजाय नेकराम प्रार्थी संख्या 4 रामेश्वर का नाम रमेशचन्द जो सही व	

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

वास्तविक है। पटवारी व तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की दाऊदयाल उर्फ कलुआ एक ही व्यक्ति है जिसका सही नाम दाऊदयाल है। धजपाल उर्फ पप्पू एक ही व्यक्ति है। जिसका सही नाम धजपाल है। भगवानसिंह पुत्र ताराचंद में भगवानसिंह पुत्र नेकराम है ताराचंद नहीं है। रमेशचन्द उर्फ रामेश्वर में रमेशचंद सही है। रामेश्वर गलत है अतः राजस्व अभिलेख में शुद्ध किया जावे। आराजी खसरा नम्बर 779, 790, 791, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 810, 812, 976, 977, 978, 979, 980, 982 कुल किता 18 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील मनियाँ में राजस्व अभिलेख में अंकित गलत प्रविष्टियाँ शुद्ध की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया पटवारी व तहसीलदार मनियां की रिपोर्ट से गलत प्रविष्टियाँ शुद्ध किया जाना हम उचित समझते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर कलुआ, पप्पू, रामेश्वर, भगवानसिंह वल्द ताराचंद का राजस्व अभिलेख में अंकन खसरा नम्बर 779, 790, 791, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 810, 812, 976, 977, 978, 979, 980, 982 कुल किता 18 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील मनियाँ पर नाम लोपित किया जाकर कलुआ के स्थान पर दाऊदयाल पुत्र फतेसिंह, पप्पू के स्थान पर धजपाल पुत्र डोंगर सिंह, भगवानसिंह पुत्र ताराचंद के स्थान पर भगवानसिंह पुत्र नेकराम, रामेश्वर के स्थान पर रमेशचंद पुत्र भगवंत सिंह जाति ब्राह्मण निवासी कल्यानपुर तहसील मनियाँ राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मनियाँ को परवाना जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)